स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या:166, दिनांक: 30—05—2025

दिनांक 11—02—2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा—2023 का प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गैंग का 01 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 30—05—2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को दिनांक 11—02—2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा—2023 का प्रश्नपत्र लीक कराने वाले गैंग के 01 सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

1— कुमार अभिनन्दन पुत्र रविनेश कुमार, निवासी मकान नं0 441/आरएन— 521/एन रस्तोगी नगर बालागंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ, मूल निवासी — कस्बा व थाना माल जनपद लखनऊ।

बरामदगीः—

1— 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः—

मनोचा बेकरी के पास थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ। दिनांक 29—05—2025 समय 17.30 बजे।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा—2023 दिनांक 11—02—2024 को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गयी थी। उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायत मिलने पर उ0प्र0 शासन द्वारा उक्त परीक्षा को निरस्त करते हुये प्रश्नपत्र लीक प्रकरण की सम्पूर्ण जॉच एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को आवंटित की गयी, जिसके क्रम में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के उच्चाधिकारीगण द्वारा कमेटी गठित कर प्रश्नपत्र लीक प्रकरण का अनावरण करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त प्रकरण से संबंधित मु0अ0सं0 74/24 थाना सिविल लाइन प्रयागराज की विवेचना निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ के द्वारा की जा रही है, को अभिसूचना संकलन से मुकदमा उपरोक्त में एक वर्ष से फरार चल रहे व वांछित अभियुक्तों के सम्बन्ध में जरिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं मुखबिर खास से जानकारी प्राप्त हुयी, जिसके क्रम में निरीक्षक अंजनी कुमार पाण्डेय, मु0आ0 सुनील सिंह, अखिलेश कुमार, शेरबहादुर की टीम द्वारा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ पर कुमार अभिनन्दन उपरोक्त ने बताया कि मेरे पिता का माल में मेडिकल स्टोर है तथा मै भी उन्ही के साथ दवाओं का व्यापार करता हूँ मेरी अलाया डिस्ट्रीव्यूटर के नाम से विभूतिखंड में फर्म तथा ऑफिस है, मेडिकल लाइन में होने के कारण मेरा परिचय डाक्टर शरद कुमार सिंह (मो0नं0 8090661556) निवासी वृंदावन योजना पी0जी0आई0 लखनऊ से हुआ। वह हमेशा व्हाट्सएप पर बात करता था। उसने बताया कि परीक्षाओं के पेपर आउट कराने वाले कई लोगों को वह जानता है तुम्हारी अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। बातचीत के दौरान मैंने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का फॉर्म भरने की बात बताई तो उसने कहा कि यदि 15 लाख रुपए की व्यवस्था करो तो मैं पेपर आउट करवाकर तुम्हें दे सकता हूं। प्री के बाद मुख्य परीक्षा का भी पेपर आउट करवाकर दूंगा नहीं तो रुपये वापस कर देंगे। शरद सिंह के कई बार कहने पर मैं तैयार हो

गया और मैंने एडवांस हेतु कुल करीब एक लाख रुपए नकद दिए। उसने गारंटी के तौर पर मेरे हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट व ग्रेजुएशन के अंक पत्र व प्रमाणपत्र और मेरा बैंक ऑफ बडौदा के एकाउण्ट नं0 59580100000400 का एक ब्लैंक चेक आदि ले लिया। उसने 9 फरवरी 2024 की सुबह भोपाल पहुंचाने हेतु बताया तथा अपने साथी सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय का व्हाट्सप्प नंबर दिया उन लोगों ने मुझे आउट पेपर पढ़ने के लिए भोपाल बुलाया। सुभाष प्रकाश ने अपना मोबाइल नंबर 8929621261 दिया था जिस पर मेरी व्हाट्सएप से बात होने लगी उसके पश्चात उसने मुझे विवेक उपाध्याय का मोबाइल नंबर 8595745601 दिया जिसने मुझे भोपाल आने को कहा उन लोगों के कहने पर मैं दिनांक 09–02–2024 को सुबह 8:00 बजे भोपाल पहुंचा जहां से इन लोगों ने मुझे होटल कमल पैलेस आनंद नगर बुलाया, जहां पर सुभाष प्रकाश, विवेक उपाध्याय तथा अन्य बहुत सारे लड़के मौजूद थे जो की समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 में मेरी ही तरह आए आउट पेपर पढ़ने आए थे हम लोगों को पेपर उपलब्ध कराया गया था जिसका हल प्रश्न उत्तर मैंने वहीं पर पढ़ा। दिनांक11–02–2024 को मैंने परीक्षा दी उसमें वही प्रश्न आए थे जो इन लोगों ने मुझे दिए थे। पेपर के कुछ दिनों बाद जानकारी हुई कि सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय तथा उनके साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है फिर मैंने डर कर अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर दिया और छिपकर इधर उधर रह रहा था। इस सम्बन्ध में राजीव नयन मिश्रा, सुभाष प्रकाश और विवेक उपाध्याय को उसके साथियों सहित एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त को जनपद प्रयागराज के थाना सिविल लाइन्स पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2024 धारा 419, 420, 465, 467, 468, 471, 34/120बी/201 आई0पी0सी0 व 3/4/9/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 व 66 आई0टी0 एक्ट में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही तद्नुसार की जा रही है।